Registration no: (21211542021918111838) Date: (18-09-2024) Valid till: (18-09-2027)

जिला शिक्षा पदाधिकारी कार्यालय | KATIHAR

शिक्षा विभाग , बिहार सरकार, पटना

प्रमाण पत्र

बिहार सरकार

सेवा में

अध्यक्ष / व्यवस्थापक / प्रबंधक

Sutara Mehi Mission School

Sureshwar Nagar,Devipur, Po- MT Devipur,Via- A.G. Bazar

विषय :- बच्चों की मुफ्त एवं अनिवार्य शिक्षा अधिनियम (Right to Education -RTE), 2009 की धारा 18 के प्रयोजनार्थ बच्चों की मुफ्त एवं अनिवार्य शिक्षा नियमावली के नियम 11 के उपनियम के अन्तर्गत विद्यालय की प्रस्वीकृति का प्रमाण पत्र ।

महाशय,

आपके आवेदन पत्र दिनांक 18-09-2024 और उसके क्रम में आपसे किये गये पत्राचार एवं विद्यालय के किये गए निरीक्षण एवं जिला स्तरीय त्रिसदस्यीय समिति के बैठक दिनांक : 0 में किये गए निर्णय के आलोक में आपके विद्यालय Sutara Mehi Mission School, Sureshwar Nagar,Devipur, Po- MT Devipur,Via- A.G. Bazar, Devipur, 854101 को कक्षा 1 से 8 तक संचालन हेतु तीन वर्षो 0 से 18-9-2027 अवधि के लिए औपबंधिक प्रस्वीकृति प्रदान की जाती है।

प्रदत्त प्रस्वीकृति निम्न शर्तों के अनुपालन के अधीन होगी।

1. प्रस्वीकृति किसी भी परिस्थिति मे कक्षा 8 तक की सीमा के बाहर मान्य नहीं होगी।

2. विद्यालय बच्चों की मुफ्त एवं अनिवार्य शिक्षा अधिनियम, 2009 तथा बिहार राज्य मुफ्त एवं अनिवार्य शिक्षा नियमावली 2011 का अनुपालन आवश्यक रूप से सुनिश्चित करेंगे ।

3. विद्यालय अपनी कक्षा 1 में बच्चो के नामांकन की कुल क्षमता का 25 प्रतिशत बच्चो का नामांकन अपने पड़ोस के कमजोर वर्ग एवं अलाभकारी समूह के बच्चों का करेगा तथा उन्हें मुफ्त एवं अनिवार्य प्रारम्भिक शिक्षा उसकी पूर्णता तक प्रदान करेगा, परन्तु यह कि यदि विद्यालय में पूर्व प्राथमिक कक्षाओं का संचालन हो रहा है, तो इस मानक का अनुपालन पूर्व प्राथमिक कक्षा के लिए भी किया जाएगा।

4. कंडिका 3 में उध्दृत बच्चों के मामले में विद्यालय को बच्चो की मुफ्त एवं अनिवार्य शिक्षा अधिनियम की धारा 12 की उपधारा 2 के आलोक में निर्धारित राशि की प्रतिपूर्ति की जाएगी। प्रतिपूर्ति की जानेवाली राशि की प्राप्ति के लिए विद्यालय अलग से बैंक खाता का संधारण करेगा।

5. सोसाईटी / विद्यालय के द्वारा किसी प्रकार का कैपिटेशन फीस नहीं प्राप्त किया जाएगा तथा किसी भी बच्चा उसके माता-पिता या अभिभावक का स्क्रीनिंग टेस्ट नहीं किया जाएगा।

6. विद्यालय किसी बच्चे के नामांकन से उसके उम्र प्रमाण पत्र के अनुपलब्धता नामांकन की विस्तारित अवधि के बाद तथा धर्म, जाति, जन्म स्थान आदि कारणों या इसमें से किसी एक कारण के आधार पर इंकार नहीं कर सकेगा।

7. विद्यालय के द्वारा निम्न कार्य सुनिश्चित किए जायेगे :

(i) किसी भी नामांकित बच्चे को किसी भी कक्षा में रोककर नहीं रखा जाएगा और न ही किसी नामांकित बच्चा को प्रारंभिक शिक्षा पूरी होने तक विद्यालय से निष्कासित किया जाएगा ।

(ii) किसी भी बच्चे को किसी प्रकार का शारीरिक दंड नहीं दिया जाएगा तथा मानसिक रूप से प्रताड़ित नहीं किया जाएगा ।

(iii) किसी भी बच्चे को प्रारंभिक शिक्षा पूरी करने के लिए किसी भी प्रकार के बोर्ड परीक्षा पास करने की आवश्यकता नहीं होगी ।

(iV) प्रारंभिक शिक्षा पूरी करने वाले प्रत्येक बच्चा को नियम 22 के आलोक में प्रमाण पत्र प्रदान किया जाएगा ।

(V) अधिनियम के प्रावधानों के आलोक में विशेष बच्चों का समावेशन किया जाएगा ।

(Vi) शिक्षकों का नियोजन अधिनियम की धारा 23 की उपधारा 1 में उनके लिए निर्धारित न्यूनतम योग्यता के अनुरूप किया जाएगा ।

(Vii) शिक्षक अधिनियम की धारा 24 की उपधारा 1 में प्रावधानित शिक्षकों के दायित्व का निर्वहन करेंगे ।

(Viii) शिक्षक निजी स्तर पर किसी भी प्रकार की शिक्षण गतिविधि में संलग्न नहीं होंगे ।

8. विद्यालय केंद्र सरकार अथवा राज्य सरकार द्वारा निर्धारित पाठ्यक्रम एवं पाठ्यचर्या का अनुसरण करेगा ।

9. विद्यालय अधिनियम की धारा 19 के प्रावधानों के आलोक में उपलब्ध सुविधाओं के आनुपातिक रूप से छात्रों का नामांकन करेगा ।

10. विद्यालय अधिनियम की धारा 19 में उद्धृत मानकों एवं मानदंडों की व्यवस्था रहेगा। विद्यालय के अंतिम निरीक्षण के समय उपलब्ध सुविधाओं का विवरण निम्नवत:

(i) विद्यालय परिसर का क्षेत्रफल :- 256.5 डिसमिल

(ii) कुल निर्मित क्षेत्र :- 236.5 डिसमिल

(iii) खेल के मैदान के क्षेत्र :- CLASS ROOM, SCIENCE LABORATORY, MATHS LAB, PLAYGROUND, COMPUTER ROOM, TEACHING LEARNING MATERIALS, SMART CLASS, INTERNET (WI-FI) FANS

(iv) वर्ग कक्षों की कुल संख्या :- 22

(v) प्रधानाध्यापक-कक्ष-मर्यादित कक्ष-भंडार कक्ष :- 2

(vi) बालक तथा बालिकाओं के लिए अलग-अलग शौचालय :- Indian , Boys :- 24 , Girls 24

(vii) पेयजल की सुविधा :- 16

(viii) मध्याह्न भोजन के लिए रसोई घर :- 0

(ix) बाधारहित पहुँचना :-1

(x) शिक्षण अधिगम सामग्री खेल-कूद उपकरण, पुस्तकालय :- BLACK BOARD, CHALK, SMART CLASS, MATHEMATICS INSTRUMENT, GLOBE, SCIENCE LAB , LABORATORY , COMPUTER LAB , CRICKET BAT, BALL, NET, VOLLEY-BALL, FOOT- BALL, CARROMBOARD, LUDO, CHESS, (Y, 998, NewsPaper Magazine:- 2)

11. कोई भी अन्तर्निहित प्रगत्त विद्यालय परिसर में न बाहर विद्यालय के नाम से संचालित नहीं होगा।

12. विद्यालय भवन अथवा अन्य संरचनाएँ अथवा केंद्र, इस उपयोग क्षेत्र शिक्षा तथा कौशल विकास के लिए होगा।

13. विद्यालय सोसाइटी रजिस्ट्रेशन अधिनियम, 1860 (1960 का 21) के अन्तर्गत निर्धारित सोसाइटी के द्वारा अपना किसी निर्धारित समय में लागू कानून के तहत गठित किसी धर्मार्थ ट्रस्ट के माध्यम से संचालित होगा।

14. विद्यालय किसी व्यक्ति, समूह अथवा अभिभावकों के के माप्यर्द की मुख्य एवं अनिवार्य शिक्षा अधिनियम की धारा 12 की उपधारा 2 के आलोक में निर्धारित राशि की प्रतिपूर्ति की जाएगी। प्रतिपूर्ति की जानकारी राशि की राशि के के लिए विद्यालय अलग्मा से बैंक खाता का संचालन करेगा।

15. संस्था का लेखांकन एवं उसकी वित्तिय प्रकार का विवयंती फीस नहीं प्राप्त किया जाएगा तथा किसी भी बच्चा उसके माता-पिता या अभिभावक का स्वामित्व देन नहीं किया जाएगा।

16. आवंटित विद्यालय को आवंटित प्रस्तावित कोड संख्या । 21211542021918111838, 2024 है। इस कार्यालय से किसी प्रकार का प्रमाण पत्र करने में इस कोड को अंकित एवं उद्धृत किया जाए।

17. निदेशक, प्रारम्भिक शिक्षा / जिला शिक्षा पदाधिकारी के द्वारा समय-समय पर जारी किए गए प्रतिवेदन एवं सूचनायें, विद्यालय के द्वारा उपलब्ध कराई जाएगी और राज्य सरकार के स्तर से प्रस्तावित की जाने के समाचार क्रय में सूल करने की सुनिश्चित हेतु अथवा विद्यालय संचालन से संबंधित कठिनाईयों को दूर करने हेतु समय-समय पर निर्देश अनुदेशों का अनुपालन विद्यालय के द्वारा किया जाएगा।

18. यदि सोसाइटी के नियंत्रण के सवीकरण की किसी प्रकार की आवश्यकता है तो उसे सुनिश्चित किया जाए।

19. अनुपालन में के समय में संलग्न अव्य बार्त

29/6/2024

29/6/2024

29/6

विश्वास भाजित,

ह०/-

जिला शिक्षा पदाधिकारी, KATIHAR

शिक्षा विभाग , बिहार सरकार

KOG-LETTER